

15/4/22

परावली पेजी में जी गई। तहसीलका डेगरिया
के पत्रांक LR/22/243 डिंक 15/7/22
द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष
में सुन गया। सार्थी गुरुचरण सिंह द्वारा
श.पत्र 8.4.25 प्राप्त पर अधिवक्ता
वादी ने NO - OBJECTION किया। श.पत्र
में निवेदन किया कि तहसीलका डेगरिया के
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व सार्थी गद द्वारा
अवेदित किलापर सार्थी पत्र अनुसार वाद
ठिंडी किया जावे। श.पत्र पर उभयपक्ष
में सुन जाया वाद ठिंडी किया जाता
है पर्या ठिंडी जारी है। परावली नंबर
के कद की जाया काविल के पत्र की
प्राप्ति व आदेश सुनया गया।

सहायक कलेक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
मुमानगर